(11)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2023/224

भैरूलाल पुत्र पांच्या उर्फ पांचु लाल जाति काछी निवासी ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.

——अपीलान्ट

बनाम

1. पांच्या उर्फ पाचूलाल पुत्र बरधा जाति काछी निवासी ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज. मृतक जरिये कायम मुकामान–
   1/1 रामदेव पुत्र स्वर्गीय पाच्या उर्फ पाचूलाल जाति काछी, निवासी–तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.।
   1/2 शम्भू पुत्र स्वर्गीय पाच्या उर्फ पाचूलाल जाति काछी, निवासी–तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.।
   1/3 रघुवीर पुत्र स्वर्गीय पाच्या उर्फ पाचूलाल जाति काछी, निवासी–तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.।
   1/4 मन्नी बाई पुत्री स्वर्गीय पाच्या उर्फ पाचूलाल जाति काछी, निवासी–तीतरवासा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.।
   1/5 चाहन्या बाई पुत्री स्वर्गीय पाच्या उर्फ पाचूलाल जाति काछी, निवासी–भोपतपुरा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज.।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा जिला बून्दी राज0
3. उप पंजीयक तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
4. अब्दुल गफ्फार आत्मज सुभान खॉ जाति मुसलमान निवासी न्यू बस्ती काला तलाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज.

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :–1. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अनुराग गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 24.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 45/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

(12)

अपील संख्या 2023/224

भैरूलाल बनाम पाच्या मृतक जर्ये का.मु. रामदेव वगै0

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलांट ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि खतोनी संख्या नई 60 पुरानी 60 खसरा नं. 407/64 रकबा 0.6151 हैक्टेयर, खसरा संख्या 416/75 रकबा 0.0971 हैक्टेयर, खसरा संख्या 418/79 रकबा 1.0687 हैक्टेयर, खसरा संख्या 443/91 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा संख्या 473/131 रकबा 0.1052 हैक्टेयर, खसरा संख्या 477/143 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 496/331 रकबा 0.0971 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 3.0351 जो वाके ग्राम तीतरवासा पटवार हल्का नोताडा भोपत तहसील तालेडा जिला बून्दी राजस्थान में विस्थित है जो वादी के पिता प्रतिवादी सख्या 1 के खातेदार की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी कम संख्या–1 के वारिसान 4 पुत्र क्रमशः रामदेव, रघुवीर, शम्भूदयाल व स्वयं वादी तथा 2 पुत्रियां कमशः मन्नी बाई व छानिया बाई है। वादी को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 1 के शेष वारिसान पुत्र व पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 1 की ही तरफदारी करते है एवं वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि में से हिस्सा नही देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 पर दबाव बनाते है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि वर्तमान में पांचूलाल के खाते में ही दर्ज है। वादी ने अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार मौखिक रूप से कहा कि मेरे हिस्से की जो भी कृषि भूमि आती हो मेरे नाम पर दर्ज करवा दो ताकि मैं अपने पत्नी व बच्चो व परिवार का भरण–पोषण कर सकूं तो प्रतिवादी संख्या 1 से बार–बार विनती करने व समाज के लोगो द्वारा समझाने पर वादी को उक्त वर्णित कृषि भूमि में से 4 बीघा कृषि भूमि वादी को खाने कमाने के लिए दे दी। जिस पर वादी काबिज काश्त है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 वादी से बार–बार लड़ाई झगडा करता है और वादी को काश्त कार्य करने से रोकता है। वादी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा है। उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने के कारण वादी का उक्त कृषि भूमि पर कानूनी रूप से हक व अधिकार है एवं वादी उक्त वर्णित कृषि भूमि में से कानूनी रूप से अपना हक व अधिकार ले सकता है। उपरोक्त भूमि विधिवत् अविभाजित कृषि भूमि है और प्रतिवादी संख्या 1 जिसका अभी तक माप व सीमांकन के आधार पर बंटवारा नही हुआ है और वादी के बार–बार कहने के बाद भी प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त वर्णित कृषि भूमि मे से वादी के हिस्से नही की भूमि वादी के नाम दर्ज करवाई है। इस कारण वादी को भूमि का विकास करने, लोन प्राप्त करने तथा अन्य कार्य हेतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण से अनेको बार इस आशय का निवेदन किया कि वर्तमान भौतिक स्थिति के अनुसार अर्थात कब्जा काश्त अनुसार तहसील कार्यालय में जाकर वादी के हिस्से की भूमि वादी के नाम दर्ज करवा दो और सहमिति बंटावा करवा लो तो प्रतिवादी संख्या 1 हमेशा टालमटौल करते रहे कि निकट भविष्य में भौतिक स्थिति के अनुसार अर्थात कब्जा काश्त अनुसार वाद वर्णित भूमि का विधिवत् विभाजन करवा लेंगे। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के आश्वासन पर काश्त करता आ रहा रहा है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादी को अपने स्वामित्व की उक्त भूमि में काश्त कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। वाद प्रस्तुती का वाद कारण दिनांक 12.03.2023 को उत्पन्न हुआ जब अंतिम बार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वाद वर्णित भूमि का कब्जे काश्त अनुसार अपने नाम दर्ज करवाकर विधिवत् विभाजन कराने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उक्त वर्णित भूमि मे से हिस्सा देने, वादी का नाम दर्ज करवाने व कब्जे अनुसार बंटवारा करने

13

अपील संख्या 2023/224

भैरूलाल बनाम पाच्या मृतक जर्ये का.मु. रामदेव वगै0

से इनकार कर दिया। तथा वादी का उक्त वर्णित कृषि भूमि में अधिकार होने से इनकार कर दिया और वादी को जबरन उक्त वर्णित कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी लगाई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 लेण्ड होल्डर होने के कारण उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन वादी का वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो माह पूर्व का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत करना संभव नही है क्योकि प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है यदि दो माह पूर्व का नोटिस देकर वाद प्रस्तुत किया गया तो प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगे। जिससे वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए दो माह पूर्व का नोटिस दिया जाना संभव नही है। इसके लिए वादी पृथक से धारा 80 (2) जाप्ता दिवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है जिसे स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वाद पत्र समुचित कोर्ट फीस पर मय तलबाने के अन्दर अवधि प्रस्तुत है। वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बक्षकुस तालेडा जिला बून्दी में विस्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वादपत्र को सुनने व निर्णय करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे की :– (1.) यह कि वादी को उक्त वर्णित भूमि मे से वादी का हिस्सा दिलवाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के हिस्से की कृषि भूमि का पृथक से माप एवं सीमांकन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से विधिवत् विभाजन कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करने के लिए तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जावे। (2.) यह कि प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उक्त वाद वर्णित कृषि भूमि में अपने हिस्से से जबरन बेदखल नही करे। एवं ना ही उक्त भूमि को रहन बय करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान करने की कृपा करे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.12.2023 को वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 11.12.2023 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोटा

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्यो के विपरित होने से हर सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है।निर्णय वअधिनस्थ न्यायालय द्वारा ज्युडिशियल माईण्ड अप्लाई किये बगैर पारित किया गया जो कि हर सुरत मे निरस्त किये जाने योग्य हैं। विवादित समपत्ति पेतृक सम्पत्ति है जिसे रेस्पोडेन्ट कम 1 खुर्द बुर्द करने पर अमादा है इस कारण तुरन्त प्रभाव से वाद प्रस्तुत किया गया था । तथा अपीलाण्ट द्वारा किसी भी प्रकार से कोई तथ्य छुपाये नही गये थे तथा अपीलाण्ट ने वादपत्र के चरण कम 2 में रेस्पोडेन्ट के सभी वारीसान का नाम आलेखित किये हैं जिसे तथ्यो छुपाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तथा सहवन से पक्षकार बनने से रह गये तथा जिनको पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को स्वर्गीय पांच्या जी के समस्त वारीसान को पक्षकार बनाये जाने का आदेश पारीत किया जाना चाहिए था परन्तु पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित किये बगैर कोई दावा खारीज नही करना चाहिए था क्योंकी आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानो के तहत पक्षकार कुसयोंजन का आधार लेकर वाद आदेश 7 नियम 11 के तहत खारीज नही किया जा सकता क्योकी ऐसा कोई आधार आदेश 7 नियम 11 में नहीं है। तथा उक्त वाद को खारीज करके रेस्पोडेन्ट कम 1 उक्त भूमि को रहन बेचान कर खुर्द बुर्द करने पर अमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई तनकीयात कायम नहीं की गई। उभयपक्षकारान को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना नहीं की गई। ऐसी सुरत में पारित किया गया अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर वाद को नियमानुसार पुनः सुनवाई किये जाने का आदेश अधिनस्थ न्यायालय को दिया जाना चाहिए। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिंनाक 11.12.2023 निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई व समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधीवत रूप से प्रकरण का निस्तारण किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिपेषित किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी अपीलांट की ओर से अपने पिता के जीवनकाल में ही प्रश्नगत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि को स्वयं की पैतृक सम्पत्ति होने का कथन किया है। वादी अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वयं के पैतृक सम्पत्ति होना बताकर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध मे हक अधिकारों की घोषणा चाही गई है। वादी भैरूलाल ने अपने पिता खातेदार पांच्या के समस्त विधिक वारिसान को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि को पैतृक सम्पत्ति होने का कथन स्वयं वादी अपीलांट द्वारा किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि वर्तमान में पांचूलाल उर्फ पांच्या की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है तथा अपीलांट पांच्या उर्फ पांचूलाल का पुत्र है। अतः ऐसी स्थिति में खातेदार पांचूलाल के अन्य पुत्र एवं वारिसान का हस्तगत प्रकरण में आवश्यक

पक्षकार है जिन्हें पक्षकार कायम किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु वादी अपीलांट द्वारा पांचूलाल के अन्य वारिसान को प्रकरण में पक्षकार कायम किए बिना ही तथ्यों को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया है। वादी अपीलांट स्वच्छ हस्तों से नहीं आया है। अतः पक्षकारान के असंयोजन के कारण हस्तगत वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनाक 11.12.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2024(1) सी.जे. (सिविल)(राज.) पेज 483, 2020 डी.एन. जे.(एस.सी.) पेज 495, 2015 डी.एन.जे.(एस.सी.) पेज 258, 2023(3) डी.एन.जे. एस.सी. पेज 751, 2017 डी.एन.जे. (एस.सी.) पेज 145, आर.आर.डी. 1986 पेज 642, आर.बी.जे. 2001 पेज 326, 2023(1) आर.आर.टी. पेज 415 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निणर्य दिनांक 11.12.2023 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत वाद में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम तीतरवासा तहसील तालेड़ा की खाता संख्या 60 की खसरा नम्बर 416/75, 418/79, 443/91, 473/131, 477/143, 496/331 कुल किता 7 कुल रकबा 3.0351 हैक्टेयर भूमि को स्वयं की पुश्तैनी भूमि होना बताकर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पांच्या पुत्र बरधा की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादी अपीलांट खातेदार पांच्या का पुत्र है। वादपत्र की चरण संख्या 3 में स्वयं वादी अपीलांट का कथन है कि अप्रार्थी संख्या पांच्या के वारिसान 4 पुत्र रामदेव, रघुवीर, शम्भूदयाल एवं स्वयं वादी तथा पुत्रियां मन्नी बाई व छानिया बाई है। चूंकि वादग्रस्त भूमि को स्वयं की पुश्तैनी भूमि होने के आधार पर वादी अपीलांट द्वारा अपने पिता खातेदार पांच्या की भूमि के सम्बंध में हक घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में खातेदार पांच्या के समस्त विधिक वारिस आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते है जिन्हें पक्षकार कायम किया जाना कानूनन आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा जानबूकर खातेदार पांच्या के अन्य विधिक वारिसान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है। अतः हमारे मत में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.12.2023 में हस्तगत वाद में आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर वाद प्रस्तुत किये जाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार कायम नहीं किए जाने के कारण वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। वादी अपीलांट का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है अतः वादी अपीलांट प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक सभी पक्षकारों

को पक्षकार कायम करते हुए पृथक से वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 45/2023 में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2023 यथावत रखा जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा